

तारीख
हफ्ता

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20.4.21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगित स्वीकार रखने
से पत्रावली दिनांक 20.4.21 को पेश हो।

18.8.21

उभय पक्ष उपस्थित न होने पर अधिकांश राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है
अतः पत्रावली दिनांक 20.10.21 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29.6.21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगित स्वीकार रखने
से पत्रावली दिनांक 29.6.21 को पेश हो।

20.10.21

पत्रावली प्रशासन गांवो के लेग अभियान केम्प
बागोरे मे पेश हुई, परवार टक्का बागोरे से
रिपॉर्ट पेश हुई जिसे शा-पठ किया गया।
मार्घ का मार्पना पत्र स्वीकार किया जाकर
मिर्छा पत्र से लिखा जाकर शा-पठ किया गया।
पत्रावली के लल शुमार होकर नवंबर से कम हो।

डॉ. पूजा अरसेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गांवो के लल अभियान 2021





गायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

ठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मा संख्या :- 13/21 प्रा.पत्र

श्री सावित्र कुमारी देवी 100 नं. आर. मो. मुसलमान निवासी- बागौर तहसील मांडल --प्रार्थी

बनाम

तनवीर खान परवा 100 नं. आर. मो. परवा निवासी- बागौर तहसील मांडल (विपक्षीय) --विपक्षीयगण
(सहसंविदा प्र. पत्र संख्या)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 20.10.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर नवेदन किया कि ग्राम.....बागौर II.....पटवार हल्का.....बागौर II.....तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं.....7457/4965.....कुल किता0.1.....कबा.....0.4965.....हेक्टेयर.....स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयगण के मध्य आराजी तृदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.10.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को वलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा हीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....बागौर II.....हल्का.....बागौर II.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....7457/4965.....कुल किता0.1.....रकबा.....0.4965.....हेक्टेयर.....भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....बागौर.....को400/-.....रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु का आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला- भीलवाड़ा
2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमापुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला- भीलवाड़ा
प्रशासन गौनों के संग अधिनियम 2021